

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

क्रमांक: प.2(53)वित्त/कर/2010-56

जयपुर दिनांक 30.9.11

शुद्धि-पत्र

वित्त (कर) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(53)वित्त/कर/2010-20 दिनांक 31.5.11 के द्वितीय पैराग्राफ में अभिव्यक्ति "किसी भी मामले में अदा की जा" तथा अभिव्यक्ति "चुकी स्टाम्प इयूटी एवं पंजीयन शुल्क" के मध्य विद्यमान शब्द "रही" को विलोपित किया जाता है।


आदेश से  
ह0/-  
(डॉ. रविकुमार एस.)  
शासन उप सचिव

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.  
, "कर-भवन", अजमेर

क्रमांक: एफ-7(52)जन/11/ 24573-2522

दिनांक: 12-10-11

1. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव एवं कमिश्नर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर की विभाग की वेबसाईट [www.rajstamps.gov.in](http://www.rajstamps.gov.in) पर अपलोड हेतु।
3. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
7. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
9. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
10. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
11. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
12. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
13. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
14. ए.सी.पी, मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
15. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
16. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
17. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

  
अतिरिक्त महानिरीक्षक,  
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,  
राजस्थान, अजमेर